मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

वर्ष 58 जुलाई, 2013 अंक 7

सभापति का पत्र :

भारत कृषक समाज परिवार के महाराष्ट्र में धुले नामक स्थान पर कार्यकम में भाग लेने के लिए मैं रास्ते में तालुका कन्नड़ के शिवराय गांव में रूका और भास्कर राम राव लघे से मिला जिसके पास 16 एकड़ जमीन है। चालीस गांव घाट पार करने के बाद मैं तालुका धुलिया के शिरूद गांव में आया जहां देवीदास जगन्नाथ चितोदकर से मिला जिसके पास चार एकड़ जमीन थी। इस संबंध में मैंने निम्नलिखित देखा और कहना चाहता हूँ कि :

उनकी फसल उगाने की पसंद मजदूरों के उपलब्ध रहने पर आधारित है। वह कपास उगाना चाहता था किंतु मजदूरों की कमी के कारण ऐसा न कर सका। उसने अपनी आधी जमीन पर कपास उगाई और आधी जमीन पर मक्का उगाई। पिछले पांच वर्षों में मजदूरी दोगुना हो चुकी है।

सरकार द्वारा सस्ता अनाज बांटना शुरू करने से पहले और किसानों को नकद फसलें उगाने के लिए प्रेरित करने से पहले किसान बाजरा और ज्वार उगाते थे और इन्हें खाते थे। अब खाने की आदतें बदल चुकी हैं और अब वे गेहूं खाते हैं।

पिछले कुछ दशकों में जिंदगी बदल चुकी है। अब गांव में रेडियो नहीं है क्योंकि लोग टेलीविज़न देखते हैं और सैल फोन पर रेडियो सुनते हैं। गांव में पहले लगभग 40 लैंड लाईन टेलीफोन थे अब उनके स्थान पर 500 से ज्यादा मोबाईल कनेक्शन हैं।

बड़े किसान राज्य सरकार को दोष देते हैं कि वह सरकारी नीतियों और कार्यकमों को लागू नहीं करती है तो दूसरी तरफ छोटे किसान जिन्हें सरकारी निधियां और आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है वे केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को दोष देते हैं।

एक सामान्य प्रश्न मैं आमतौर पर किसानों से पूछता हूँ कि वे सरकार से क्या चाहते हैं। भास्कर चाहता है कि 24 घंटे बिजली हो, सस्ते बीज और खाद मिले। यदि खाद के मूल्य बढ़ते हैं तो उत्पाद या फसलों का मूल्य भी बढ़ना चाहिए। छोटा किसान चाहता है कि सरकार उसके लिए एक कुंआ खोद दे ताकि वह पानी निकाल सके और सदा के लिए आत्मनिर्भर बन जाए।

भास्कर नहीं चाहता कि उनके बच्चे किसान बनें। खेती उन्हीं के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं है या कोई अन्य विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ देवीदास अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज सकता क्योंकि खेती के लिए उसे उसकी जरूरत है। जैसा मेरा मानना है कि देवीदास का मानना है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि वर्षा आधारित खेती करने वाले छोटे किसान की स्थिति एक भूमिहीन किसान से भी बदतर है, जबकि 16 एकड़ जमीन रखने वाला भास्कर इस बात से सहमत नहीं है।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

कृषि ऋण, कृषि उत्पादकता और कृषि संकट

*** अंकिता गोयल, सामाजिक विकास परिषद्**

भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या का दो तिहाई भाग कृषि और इससे संबंधित कार्यों में लगा हुआ है, अत, अतः उनकी समस्याओं को जानना अति महत्वपूर्ण है। भारत में बहुत से वास्तविक, संस्थागत, ढ़ांचागत और तकनीकी पहलू हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं जैसे जलवायु, भूमि, भौगोलिक, बाज़ार, परिवहन सुवधिाएं, श्रम, सिंचाई सुविधाएं, अच्छी गुणवत्ता के बीजों और उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता, बिजली, पूंजी और सरकारी नीतियां आदि। अन्य पहलूओं में पूंजी की भूमिका अति महत्वपूर्ण है जिसका अर्थ है कि उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए अपेक्षित ऋण। भारत जैसे निर्धन देश की कृषि के लिए ऋण एक संवेदनशील पहलू है जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है क्योंकि भारत में छोटे किसानों की बचत न के बराबर होती है।

उद्देश्य :

निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह अध्ययन किया गया है :

1. भारत में कृषि और संबंधित कार्यों के लिए वितरित ऋण के रूझान का विश्लेषण करना।
2. चुने हुए राज्यों में विभिन्न स्रोतों (संस्थागत और गैर संस्थागत) से उपलब्ध कृषि के आकार, वर्गवार ऋण की जांच करना।
3. उन किसानों की ऋण समस्याओं का पता लगाना जिन क्षेत्रों में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं।

पद्धति :

महाराष्ट्र और पंजाब में अध्ययन का आधार उच्चतर और प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। प्रारम्भिक कृषि स्तर के आंकड़ों के लिए दो राज्यों में घरों का सर्वेक्षण किया गया। पंजाब में लुधियाना और संगरूर और महाराष्ट्र के बुलधाना और यावतमल

को प्राथमिक सर्वेक्षण हेतु चुना गया था। इन जिलों में पाया गया है कि अधिक किसान आत्महत्या करते हैं इस कारण से इन्हें किसानों की ऋण से संबंधित समस्याओं को समझने के लिए चुना गया है।

स्थानीय जिला स्तर के अधिकारियों के परामर्श से चार जिलों से गांव के एक ब्लॉक/कलस्टर को चुना गया है। चुने गए ब्लॉको/कलस्टर के विभिन्न आकार के समूहों के 100 घरों को चुना गया है जिससे अध्ययन के लिए 400 कृषि घरों का नमूना लिया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक के कृषि घर को तीन वर्गों में बांटा गया है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र (एनसीए), छोटे (2 हैक्टेयर कम), मध्यम (2 और 4 हैक्टेयर के बीच) और बड़ा आकार (4 हैक्टेयर से अधिक)। प्राथमिक आंकडें इकट्ठे करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई है। बैंकों और कृषि ऋण संस्थाओं से सूचनाएं इकट्ठी की गई हैं जहां पर चुने गए ब्लॉक के अधिकतम ऋण लेते हैं। निष्कर्ष में पहुंचने के लिए उच्चतर और प्राथमिक दोनों प्रकार के आंकडों के परिणाम का उपयोग किया गया है।

कृषि और संबंधित गतिविधियों को वितरित ऋण का अखिल भारतीय रूझान

विश्वभर में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों पर ऋण कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे जिनमें ऋण शामिल था जिसे 1960, 1970 और 1980 दशक के मध्य के आस–पास विकसित और विकासशील देशों में विकास नीति का एक प्रमुख औज़ार माना जाता था। भारत में पहली बार 1967–68 में ऋण नीति को पहचान मिली और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्यात और लघु स्तर के उद्योगों के लिए वित्त देने हेतु वाणिज्यिक बैंकों की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। जुलाई 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंको को राष्ट्रीयकृत किया गया जिसका उद्देश्य था कि ऋण की कमी के कारण किसी भी व्यावहारिक उत्पादक कारोबार में बाधा नहीं आए चाहे ऋण लेने वाला बढ़ा है या छोटा। इस क्षेत्र में आगे महत्वपूर्ण कारोबार को ऋण देने की वकालत की गई। महत्वपूर्ण क्षेत्रों की औपचारिक पहल 1972 में की गई जिसका आधार मई 1971 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम से संबंधित आंकडें हैं जो अनौपचारिक अध्ययन समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिए गए हैं। तबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत नए स्थानों और कारोबार सहित कई परिवर्तन किए गए हैं।

ऋण के संस्थागत और गैर–संस्थागत स्रोत

भारतीय कृषि ऋण पद्धति के अंतर्गत ऋण देने के अनौपचारिक और औपचारिक स्रोत या संस्थागत स्रोत शामिल हैं। अनौपचारिक स्रोतों में कमीशन एजेन्ट, व्यापारी, निजी उधार देने वाले, दोस्त, रिश्तेदार आदि शामिल हैं। औपचारिक ऋण देने के तीन प्रमुख चैनलों में वाणिज्यिक बैंक, सहकारी संस्थाएं और लघु वित्त संस्थाएं (एमएफआई) शामिल हैं जो देश के कोने–कोने में फैली हुई हैं।

कुल ऋण में किसान परिवारों का भाग

वर्ष 1951 से, जब किसानों द्वारा लिए गए कुल ऋण का 90 प्रतिशत से अधिक अनौपचारिक स्रोतों से आता था जैसे साहूकार, 2002 तक, जब एआईडीआईएस सर्वेक्षण के अंतिम चरण में स्थिति लगभग विपरीत हो गई। किंतु वर्ष 2002 में भी यह देखा गया कि वर्ष 1981 से भी अधिक स्तर तक साहूकारों द्वारा दिए गए ऋण का प्रतिशत बढ़ा। अतः अगले 10 वर्ष तक इस सर्वेक्षण के अगले चरण में लगभग स्थिति वैसी ही रही। यह नोट किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की पहुंच बढ़ने के बावजूद भी और सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने पर भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता बढ़ी जैसे आढ़तियों, दोस्तों/रिश्तेदारों से ऋण लेना। अतः यह आवश्यक है कि हाल ही के वर्षों में कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण देने के रूझान का अध्ययन किया जाए।

संस्थाओं द्वारा वितरीत ऋण के लक्ष्य और उपलब्धियां

कृषि को संस्थागत वितरित ऋण के अंतर्गत, जब हम वर्ष 1990–91 से 2010–11 तक 20 वर्ष के लक्ष्यों और उपलब्धियों को देखते हैं, यह पाया गया है कि 18 प्रतिशत से भी अधिक कम्पाऊन्ड वृद्धि दर के अनुसार कृषि वितरण के लक्ष्य में वृद्धि हुई है जबकि वास्तव में कृषि को दिया गया ऋण लगभग 22 प्रतिशत की कम्पाऊन्ड वृद्धि दर से बढ़ा है। इस अवधि के दौरान इन दो दशकों में लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतिशत 69 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 120 प्रतिशत हो गया।

प्रारम्भ में कृषि को दिए गए ऋण में वृद्धि लगभग 5,50,000 करोड़ रूपए, लगभग 13 वर्षों में और प्रमुख रूप में वर्ष 2005–06 से अत्याधिक उत्साहजनक तथा कृषि क्षेत्र के पक्ष में रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने लघुस्तरीय उद्योग, लघु–उद्योग/सेवा उपकम, सूक्ष्म ऋण, शिक्षा ऋण और आवास ऋण के साथ कृषि क्षेत्र को भी ऋण देने के लिए महत्वपूर्ण वर्ग में ला दिया है। कृषि क्षेत्र को उधार देने के लिए कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष वित्त और अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। भारतीय रिजर्व बैंक नियमित रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि ऋण के अंतर्गत इससे संबंधित परिभाषा, ऋण सीमा, लक्ष्यों आदि में संशोधन से संबंधित अधिसूचना और परिपत्र जारी करता है। मार्च 1980 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया गया कि वे वर्ष 1985 तक सकल अग्रिमों का महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिए गए 33.3 प्रतिशत अग्रिमों का अनुपात बढ़ाकर 40 प्रतिशत करें। इस 40 प्रतिशत में से वाणिज्यिक बैंकों के लिए आवश्यक था कि कुल वार्षिक उधार का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए रखें जो प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार के एक भाग के रूप में होगा। इससे पहले किसानों को प्रत्यक्ष वित्त के लिए केवल 18 प्रतिशत का लक्ष्य था किन्तु इसमें 1993 में प्रत्यक्ष वित्त को भी शामिल कर दिया गया।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि ऋण में रूझान

भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि ऋण को प्रत्यक्ष वित्त और अप्रत्यक्ष वित्त के रूप मे परिभाषित किया है। कृषि में प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत निजी व्यक्तियों, घरानों और

संस्थाओं को ऋण देना शामिल है। इसके अंतर्गत फसल वृद्धि हेतु फसल ऋण, कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कृषि उपजों को गिरवी रखकर अग्रिम देना, कृषि प्रयोजन हेतु भूमि की खरीद करने के लिए छोटे और मझोले किसानों को ऋण, गैर संस्थागत ऋण देने वालों में फंसे हुए किसानों को ऋण, फसल से पहले और फसल के बाद के कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना शामिल है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्रत्यक्ष ऋण के रूप में प्रति उधार लेने वाले को कुल एक करोड़ रूपए की राशि दी जा सकती है। कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत आहार और कृषि आधारित प्रसंसाधन एककों को संयंत्र और मशीनरी की खरीद हेतु ऋण, उर्वरक, कीटनाशक, बीज और अन्य साधनों जैसे पशु चारा की खरीद और वितरण के लिए ऋण, कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्त, कृषि मशीनरी के व्यापारियों को ऋण, भंडारण सुविधाओं के निर्माण और संचालन हेतु ऋण, किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए आढ़तियों (कमीशन एजेन्ट) को ऋण, उन गैर सरकारी संस्थाओं को ऋण देना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों आदि को ऋण देने के लिए आरआरबीज को ऋण देना।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के लिए ऋण सीमा में समय–समय पर संशोधन किया जाता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संस्थागत ऋण का अवसर बढ़ाने के लिए नए–नए संकलन किए गए हैं।

हमें अनुमान मिलता है कि जारी किए गए कुल ऋण के अनुपात और पिछले दो दशकों में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा अप्रत्यक्ष कुल ऋण के अनुपात में कितना परिवर्तन हुआ है। कुल प्रत्यक्ष ऋण में सहकारी संस्थाओं, राज्य सरकारों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्रत्यक्ष ऋण। कुल अप्रत्यक्ष ऋण में सहकारी संस्थाओं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा दिया गया अप्रत्यक्ष वित्त। यह देखा गया है कि वर्ष 1992–93 तक जारी किए गए कुल कृषि ऋणों का बकाया प्रत्यक्ष ऋण लगभग 80 प्रतिशत बनता है और इसमें वर्ष 1993–94 में गिरावट हुई और वर्ष 1999–2000 तक लगभग 60 प्रतिशत ही रहा। यह संयोग है कि वर्ष 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के साथ मिलता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि 18 प्रतिशत के प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त दोनों को इकट्ठे गिना जाए। वर्ष 1993 से अप्रत्यक्ष वित्त का अनुपात बढ़ा है और वर्ष 1998–99 में प्रत्यक्ष वित्त के अंश को पार कर लिया है। वर्ष 2000–01 में अप्रत्यक्ष वित्त का कुल कृषि वित्त के 55 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2008–09 में और 2009–10 में कुल कृषि वित्त कृषि क्षेत्र को जारी टोटल ऋण के 70 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गया, दोबारा यह तेजी से नीचे गिरा और इस कारण कुल कृषि के बकाया ऋण में 73 प्रतिशत से अधिक अप्रत्यक्ष वित्त का भाग रहा।

स्वभूमि के आकार के अनुसार दिया गया प्रत्यक्ष ऋण

यह जानने के लिए कि छोटे और मंझोले किसानों न ऋण सीमा में वृद्धि पर कैसे प्रतिकिया दी ओर दिया गया कृषि ऋण की राशि कितनी तेजी से बढ़ी, तो हम पाएंगे कि इसका कारण कृषि के आकार की श्रेणी के अनुसार ऋण दिया गया। सभी किसान घरों के वर्गों के लिए वर्ष 2000–01 से किसानों को प्रत्यक्ष वित्त देने में वृद्धि हुई और 2000–01 से 2005–06 के बीच 35 प्रतिशत की औसत कम्पाऊन्ड़ दर से बढ़ा। कई वर्षों से छोटे, मंझोले और अन्य श्रेणी के किसानों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष वित्त समान रूप से बढ़ा है। किन्तु दी गई राशि की तुलना में संचालित स्वभूमि वाले घरों के संख्या की तुलना करने पर हम पाते हैं कि यह पद्धति वर्ष 1995–96 जैसी ही है जिसके अंतर्गत 60 प्रतिशत से अधिक घरों का भाग दिए गए वित्त का लगभग 25 प्रतिशत है जो मंझोले किसान के वर्ग में आते हैं, जबकि 20 प्रतिशत से अधिक किसान परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक संचालन भूमि है और उनका भाग वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का लगभग 50 प्रतिशत बनता है।

ऋण सीमा के आकार के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दिए गए ऋण में रूझान

भारतीय रिजर्व बैंकों को नियमित रूप से अधिसूचना देकर ऋण सीमा में संशोधन करता है। ऋण सीमा के आकार के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त में परिवर्तन के रूझान का विश्लेषण करने के लिए हम पिछले दशक में विभिन्न ऋण सीमा के वर्गों के खातों की संख्या बकाया राशि में परिवर्तन को देखेंगे। यह देखा गया है कि प्रत्यक्ष वित्तों के मामले में 5–10 लाख रूपए और 25 करोड़ से ऊपर की ऋण सीमा के लिए वृद्धि दर अधिकतम है। ऋण सीमा की दोनों श्रेणियों के लिए खातों की संख्या में 43 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है और इन दोनों श्रेणियों के लिए बकाया राशि कमशः 43 प्रतिशत और 52 प्रतिशत बढ़ी है। अनुसूचित कमर्शियल बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण के बकाये में एनबीएफसीज़ को ऋण देने के मामले में 59.2 प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि हुई है और गैर सरकारी संगठनों के मामले में उनके द्वारा निजी किसानों या एसएचजीज़ को ऋण देने और कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापारिक केन्द्रों को भी ऋण देने में 29.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरानों, भागीदारी फर्मों, जिन्हें ऋण देने की सीमा एक करोड़ तक थी, जो प्रत्यक्ष ऋण में शामिल हैं, इसमें वर्ष 2008 से 2011 तक वास्तव में सात प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दिखने में आई है।

प्राथमिक सर्वेक्षण का विश्लेषण

अध्ययन के प्रयोजन हेतु पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यों में प्रत्येक राज्य के दो [illegible] का विस्तार से प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया। पंजाब में लुधियाना और [illegible]रूर और महाराष्ट्र में यावतमल और बुलधाना को चुना गया क्योंकि इन जगहों पर किसान ऋण के कारण संकट में थे और कई किसान आत्महत्याएं कर चुके थे। चार तहसीलों/ब्लॉकों

यथा लुधियाना में पाखोवल संगरूर में लहरगागा, यावतमल में पूसाद और बुलधाना में पांच गांव के क्लस्टर के 100 किसान परिवारों को चुना गया।

प्रत्येक भूमि श्रेणी में कई घरों को प्रत्येक गांव के घरों के वास्तविक वितरण के अनुपात में चुना गया। औसत वार्षिक आय में घरों को होने वाली फसल उत्पादन की आय, पशुओं से आय, मछली पालन, मजदूरो/कृषि मशीनरी और औजारों को किराए पर देना, भूमि किराए पर देना और पैसा उधार देना शामिल है। यह पाया गया कि बहुत से छोटे किसान अपनी आय का साधन अपनी भूमि को किराए पर देकर फसल से आय प्राप्त करते हैं और साथ ही दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी कार्य करते हैं।

यह पूछने पर कि कितने किसानों के पास किसान केडिट कार्ड हैं, लगभग 30 प्रतिशत किसानों ने हाँ में जवाब दिया जबकि महाराष्ट्र के बुलधाना जिले में चार जिलों में सबसे अधिक लगभग 44 प्रतिशत किसानों के पास किसान केडिट कार्ड था। पंजाब यद्यपि अधिक विकसित और अग्रणी राज्य है, तो भी वहां के केवल 20 प्रतिशत किसानों के पास किसान केडिट कार्ड था।

यह भी देखने में आया कि वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी संस्थाओं आदि जैसे संस्थागत स्रोतों से भी ऋण लेने के बाद साहूकारों को हटाया नहीं जा सका है। महाराष्ट्र में सर्वेक्षण के अनुसार 86 प्रतिशत किसान और पंजाब में 90 प्रतिशत किसानों ने वित्तीय संस्थाओं में ऋण के लिए आवेदन किया था और 99 प्रतिशत आवेदनकर्ताओं को ऋण मिल गया। किंतु यह नोट करने योग्य है कि ऋण अतिरिक्त स्रोत बन गया जबकि पारंपरिक स्रोत जैसे आढ़ती, दोस्त और रिश्तेदार, साहूकारों से भी किसानों ने ऋण लिया। साहूकार किसानों को आसानी से और बिना किसी औपचारिकता के ऋण दे देते हैं, विशेषकर छोटे और मझोले किसानों को, और ये किसान भी इनसे इसलिए ऋण लेते हैं कि इनकी सरल पहुंच होती है और कोलेट्रल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह देखा गया है कि एक अकेला किसान ही एक ही बार में आठ से दस साहूकारों से ऋण लेता है क्योंकि एकमात्र ऋण से उसका वर्ष भर का खर्चा नहीं निकल पाता। यह देखा गया है कि साहूकार सामान्यतः उसी गांव के होते हैं और किसानों को जानते हैं, इस कारण किसानों को ऋण लेने में बहुत सरलता होती है चाहे इसके लिए उन्हें अत्यधिक ब्याज दर देनी पड़ती है (बहुत से मामलों में तो 5 प्रतिशत मासिक)। कुछ वित्तीय संस्थाओं की योजनाओं में प्रावधान है कि कृषि कार्यों के लिए ऋण पर सस्ता ब्याज लिया जाए। उदाहरण के लिए यावतमल जिले में यह देखा गया एक वित्तीय वर्ष यथाः अप्रैल से मार्च तक फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता और यदि एक वर्ष के अंदर ऋण वापिस नहीं किया जाता तब ही ब्याज लिया जाता है।

महाराष्ट्र में विशेषकर देखा गया है कि किसानों को अधिक ज्ञान नहीं है वे नहीं जानते कि ब्याज की दर क्या है और बैंक से लिए गए ऋण के लौटाने की कौन सी तिथि है। प्राकृतिक आपदा या किसी भी कारण से फसल खराब होने पर किसानों को राहत

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2012-14
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2012-14

प्रकाशन की तिथि : 1 जुलाई, 2013
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–2,
तारीख 4 एवं 5, जुलाई 2013

देने का अधिक प्रावधान नहीं है। एक ऋण को लौटाने के लिए वे दूसरा ऋण किसी अन्य स्रोत से ले लेते हैं और उनकी देनदारी बढ़ती जाती है। यह भी पाया गया है कि कृषि और संबंधित कार्यों के नाम पर वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण को सदा फसल उगाने पर ही व्यय नहीं किया जाता है। 50 प्रतिशत से अधिक किसानों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इसे अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जैसे स्वास्थ्य या सामाजिक उत्सव जैसे विवाह आदि। इससे परिणाम निकलता है कि रोज़गार का कोई अन्य विकल्प न होने के कारण किसान हमेशा जोखिम में रहते हैं और आय के स्रोत के रूप में कषि क्षेत्र उनका पसंदीदा या प्रेरक क्षेत्र नहीं है।

किसानों के और इसके साथ–साथ ब्लॉकों में सेवाएं प्रदान करने वाले बैंकों के सर्वेक्षण और अध्ययन में एक भी ऋण लेने वाला ऐसा नहीं पाया गया जिसमें कृषि कारोबार या कृषि क्लीनिक, या उर्वरक, बीज आदि जैसे वितरक का कार्य स्थापित किया हो। इसका निष्कर्ष है कि विकासशील क्षेत्र में किसान को केवल फसल ऋण की आवश्यकता है जो एक प्रत्यक्ष लघुकालीक ऋण है जैसा भारतीय रिजर्व बैंक ने परिभाषित किया है। इस प्रकार पिछले दशक में कृषि ऋण की बढ़ा चढ़ाकर तस्वीर प्रस्तुत करना वास्तव में जरूरतमंद किसानों की वास्तविक स्थिति के समतुल्य नहीं है।

आगे का रास्ता

वास्तव में कृषि की स्थिति बहुत भयंकर है और संस्थागत स्रोतों से कृषि ऋण के वितरण की बारहमासी वृद्धि की तस्वीर का समर्थन नहीं करती है। किसान आज भी उसी स्थिति में है जैसा वह 60 वर्ष पहले था या उससे भी बदतर क्योंकि थोक मूल्यों के भाव बढ़े हैं और किसानों को मिलने वाली आय कम होती जा रही है। किसानों को बढ़ते हुए ऋण के जाल से निकालने के लिए उसे उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देना होगा और खुले बाज़ार में मूल्यों के उतार–चढ़ाव से सुरक्षित रखना होगा। दूसरे, किसानों का प्राकृतिक आपदा के लिए बीमा किया जाए, जिस कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है और अपना घर चलाने के लिए उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं रहता। तीसरा, किसानों के पास खेतों से प्राप्त की जाने वाली आय के अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक रोज़गार के अवसर होने चाहिए।

*** यह अध्ययन भारत कृषक समाज द्वारा सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी) को प्रायोजित था।**

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 65650384, ई–मेलः contact@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।